राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक एफ 41(92)ग्रावि / नरेगा / एनजीटी / 2020–21 जयपुर, दिनांक : 30 MAR 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषयः–माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 01.06.2020 OA NO.325/2015 के निर्णय की पालना भिजवाने बाबत।
प्रसंगः–पूर्व विभागीय दिनांक 15.09.2020 एवं 12.10.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एनजीटी के आदेश दिनांक 01.06.2020 OA NO.325/2015 के बिन्दु संख्या–6 में निम्नानुसार आदेश जारी किया गया है

"However, we wish to add a further direction having bearing on the subject. We have already noted the significance of protection and restoration of water bodies for the environment. The protection of water bodies not only add to availability of water for different purposes, it also contributes to recharge of ground and maintaining e-flow in the rivers is congenial to micro climate in sub-watersheds as well as enhancing the natural aesthetics .While the rain water harvesting is certainly important, harvesting surplus water during excessive rains from any areas of catchment needs to be optimized by enchancing the capacity of the existing ponds/water bodies, creation of water harvesting structures in the sub-watersheds to the cxent possible, apart from setting up of additional water bodies/water harvesting structures wherever viable, utilizing available funds including under MGNREGA and involving the community at large at every level. Gram Panchayats can certainly play a significant role in the matter. Once adequate capacity enchancement of water bodies takes place, excess flood/rain water can be channelized by using appropriate water haresting techniques. This action needs to be coordinated by the District Magistrates in coordination with the Department of Irrigation and flood control or other concerned Department such as Department of Rural Development/Urban Development/Local Bodies/Forest/Revenue etc. The District Magistrate may as far as possibile hold a meeting of all the Stake holders for the purpose as per the District Environment plan or Watershed plan within one month from today. The District Magistrate may also ensure that as far as possible atleast one pond/water body must be restored in every Village, apart from creation of any new pond/Water body."

उक्त निर्णयानुसार प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक तालाब / जल स्त्रोत की मरम्मत एवं रखरखाव के कार्य कियान्वित कर सूचना संकलित की जानी है। इस कम में प्रासंगिक पत्र द्वारा पालना सुनिश्चित कराते हुए प्रगति निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी। परंतु अधिकांश जिलों से उक्त सूचना आदिनांक तक अपेक्षित है। राज्य स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित तालाबों की सूचना सकंलन हेतु ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग (महात्मा गांधी नरेगा) नोडल विभाग है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि महात्मा गांधी नरेगा के साथ–साथ अन्य योजनाओं से किये जा रहे जल स्त्रोतों के जीर्णोद्वार कार्यो की प्रगति परिशिष्ट '1' पर निर्धारित प्रपत्र (Excel Sheet) में तैयार कर महात्मा गांधी नरेगा की विभागीय ईमेल आईडी–**cmsnrega.raj@gmail.com** पर भिजवाने का श्रम करें। साथ ही जिले के समस्त ग्राम में कम से कम एक जल स्त्रोत का जीर्णोद्वार कार्य कियान्वित किये जाने संबंधी "प्रमाण–पत्र" परिशिष्ट '2' पर संलग्न प्रपत्र अनुसार तैयार भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(पी0सी0किशन)
शासन सचिव ग्रावि. एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः–
1 निजी सचिव, शासन सचिव ग्रावि. एवं आयुक्त, ईजीएस
2 ~~अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान ।~~
3 अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान ।
4 श्री रिंकू छीपा, एमआईएस प्रभारी कार्यालय हाजा को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।

अधीक्षण अभियंता, ईजीएस

Scanned with CamScanner

जिले में जीर्णोद्वार (**Renovation**) किये गये जलस्त्रोतो की संख्या (तालिका–1)

क.सं.	जिले का नाम	गांव की संख्या	जीर्णोद्वार (Renovation) हेतु जलस्त्रोतो की संख्या			
			वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 तक पूर्ण	वर्ष 2018–19 से 2020–21 तक पूर्ण	वर्ष 2020–21 में प्रगतिरत	कुल कार्य
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

जिले में जीर्णोद्वार (**Renovation**) किये गये जलस्त्रोतो का विवरण (तालिका–2)

क.सं.	जिले का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	गांव का नाम	जल स्त्रोत का प्रकार (तालाब, फार्म पॉड, नाडी, चेकडेम आदि)	जल स्त्रोत का नाम	अक्षांशान्तर / देशान्तर (Latitude /Longitude)	स्वीकृत / पूर्ण / प्रगतिरत	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट '2'

::प्रमाण–पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि माननीय एनजीटी के ओ.ए. 325/2015 के आदेश दिनांक 01.06.2020 की पालना में प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक जल स्त्रोत का जीर्णोद्धार के क्रम में जिले के कुल ....ग्राम में से ....ग्राम में कम से कम एक जल स्त्रोत का जीर्णोद्धार कार्य कियान्वित किया गया है।

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर

जिला...

Scanned with CamScanner